न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 137/2018

1– मांगीलाल पिता हरलाल जाति भील के बजाय :–
1/1– कल्लु भील पिता स्व. मांगीलाल भील निवासी बडी का खेडा तह0 बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

1– गोपी पिता हीरा जी जाति भील निवासी बडी का खेडा तह0 बेगूँ
2– श्यामलाल पिता शंकरलाल जी जाति भील निवासी ओछडी तह0 चितौडगढ
3– जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार
4– तहसीलदार साहब बेगूँ भूमिधारी तहसील बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री इफतेखार अजमेंरी
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री पारस कुमार कुमावत
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक :– 28.12.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्राकर से है कि प्रार्थी द्वारा उक्त अनवान का एक वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो ठोस आधारो पर आधारित होने से प्रथम दृष्टया ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा परन्तु उसके निण्रय मे समय लगने की संभावना है।

यह कि प्रार्थी के पिता हरला के नाम पर संयुक्त खाते में कृषि काश्त हेतु मौजा बडी का खेडा पटवार हल्का सामरिया कलां की जमाबंदी सम्वत 2070–73 की खतौनी संख्या 57 में निम्न कृषि आराजीयात दर्ज रिकार्ड है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

| खाता संख्या | आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|
| 57 | 55 | 0.3320 |
| | 56 | 0.0890 |
| | 57 | 0.3400 |
| | 58 | 0.2590 |
| | 59 | 0.1210 |
| | 60 | 0.1050 |
| | 61 | 0.1620 |
| | 63 | 0.3160 |
| | 71 | 0.3400 |
| | 72 | 0.650 |
| | कीता–11 रकबा | 2.1850 हैक्टर |

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थी के पूर्वजो से चली आ रही है जिस पर पूर्व में प्रार्थी के पिता हरला व उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थी उनका वारिस होकर उक्त आराजीयात पर काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित आराजीयात के दक्षिण दिशा में सेटलमेन्ट के पूर्व बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 52 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा मे से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी के पिता हरला पिता देवा भील का पुराना कब्जा होने से नियमन आदेश मिसल संख्या 1065 दिनांक 19.11.1968 से आराजी नम्बर 52मी रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि नियमन क गयी जिसका नामान्तरण संख्या 27 दिनांक 17.5.1971 से दो बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता हरला पिता देवा भी के नाम नियमन से खातेदारी दर्ज की गयी ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

का नोट जमाबंदी सम्वत 2025–28 की खाता संख्या 1 में अंकन किया गया। जो प्रार्थी पिता हरला पिता देवा के नाम पर दर्ज चली आ रही थी जिस पर वादी के पिता हरला पिता देवा ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे व उनकी मृत्यु के पश्चात वादी साविक नम्बरान से नवीन आराजी नम्बर 64 रकबा 0.0810 हैक्टर, 65 रकबा 0.1710 हैक्टर, 70 रकबा 0.2830 हैक्टर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड चली आ रही है जिस पर प्रार्थी के पिता व उनकी मृत्यु पश्चात वादी हरला का वारिस होकर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे प्रार्थी नवीन आराजी नम्बर 64 रकबा 0.0710 हैक्टर आराजी नं0 65 रकबा 0.1710 हैक्टर आराजी नम्बर 70 रकबा 0.2830 हैक्टर की घोषणा डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी होने से वादपत्र प्रार्थी घोषणात्मक डिक्री पेश है।

यह कि विवादित आराजी नम्बर 64, 65, 70 जो कि पूर्व में साविक आराजी नम्बर 52 था व उक्त आराजयीात पर प्रार्थी के पिता हरला पिता देवा काबिज होने से हरला पिता देवा को मिसल संख्या 1065/68 से आराजी नम्बर 52 में से 2 बीघा 4 बिसवा भूमि नियमन की गयी व शेष आराजी रकबा पर प्रार्थी का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट दरमियान नवीन आराजी नम्बर 64, 65, 70 क्रमश रकबा 0.0810हैक्टर, 0.1710 हैक्टर व 0.2830 हैक्टर दर्ज कर बिना किसी आधार से सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी व उसके पश्चात विपक्षी संख्या 1 को वर्ष 1978 में जरिये आवंटन आदेश मि0नं0 780/78 के नवीन आराजी नम्बर 64, 65, 70 से आवंटित कर दी गई। जबकि उक्त आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व से ही प्रार्थी के पिता हरला पितादेवा के नाम नियमन होकर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। वक्त आवटंन भी प्रार्थी के पिता का ही कब्जा चला आ रहा था वक्त आवंटन भूमि खाली नही होकर प्रार्थी के पिता हरला के नाम दर्ज थी। ऐसी स्थिती में विपक्षी संख्या 1 को गलत रूप से बिलानाम सरकार भूमि बताते हुए आवंटित कर दी जो आवंटन आदेश प्रार्थी के हक व अधिकारो के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होकर विपक्षी सं0 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आराजीयात में से कुछ आराजी तथाकथित बयनामा दिनांक 30.07.2018 से हस्तान्तरित कर दी। उक्त तथाकथित बयनामा व आवंटन आदेश प्रार्थी के हक व अधिकारो के मुकावले में शून्य एवं निष्प्रभावी होकर वादी विपक्षी सं.1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को शून्य व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किये गये तथाकथित बयनामें को शून्य घोषित करा कब्जा मुखालपाने के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 64, 65, 70 रकबा क्रमशः 0.0810हैक्टर, 0.1710 हैक्टर व 0.2830 हैक्टर की घोषणा डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी होने से वादपत्र वादी घोषणात्मक डिक्री पेश है। इस भूमि पर प्रार्थी के पिता एवं इसके पश्चात प्रार्थी का 53 वर्षो से निरंतर निर्बाध कब्जा चला आ रहा है।

यह कि नवीन आराजी नम्बर 64, 65, 70 प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी से लगी हुई होकर पत्थर की कोट से एक ही परकोटे में स्थित होकर प्रार्थी के पिता हरला पिता देवा को पुराने कब्जे के आधार पर नियमन होकर खातेदार प्राप्त हुई थी व खातेदारी की आराजीयात में मिली हुई है फिर भी उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 के नाम पर विना कब्जे के आराजी नम्बर 65,70 को विपक्षी संख्या 1 के नाम पर विना कब्जे के आराजी नम्बर 65,70 को विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को तथाकथित वयनामें से विक्रय कर दी। जवकि विना कब्जे का वेचान धारा 54 टी.एक्ट के अनुसार भी शुन्य है क्यो कि कब्जा सिपूर्द किये विना वेचान नहीं हो सकता है। इस वयनामे की आड में विपक्षी संख्या 2 राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा उक्त आराजीयात पर जवरन कब्जा करने पर आमा दा है। जिसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश हैं।

यह कि न्याय साम्य सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसका मुल्याकंन किया जाना कतई संम्भव नहीं होगा। इसलिये न्याय साम्य सुविधा प्रार्थी के पक्ष में होकर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अगर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमे वाजी का सामना करना पडेगा। अगर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पक्ष प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार
किया जाकर विपक्षी संख्या 1,2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पावन्द फरमाया जावे
कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें न ही कृषि आराजीयात का हस्तान्तरण ही
करे न ही किसी अन्य से करावे तथा विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी
निषेधाज्ञा जारी कर पावन्द फरमाया जावे कि वह वर्तमान राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम
रखते हुए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर
किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता
श्री पारसकुमार कुमावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश
कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 का जवाब है कि प्रार्थना पत्र गलत
होकर अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निश्चित रूप से असत्य तथ्यो पर आधारित
होने से खारिज होगा। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 का जवाब गलत होकर अस्वीकार है।
चरण संख्या 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 का जवाब है कि गलत होकर अस्वीकार है
आराजी संख्या 64, 65 व 70 पर प्रार्थी या इसके पूर्वजो का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा
है इसी कारण उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर आवंटित होकर दर्ज रिकोर्ड हुई
स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित हैं। यह कि प्रकरण मे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 का
जवाब है कि आराजी संख्या 64,65 व 70 कभी भी प्रार्थी या उसके पूर्वजो के नाम नहीं रही
उक्त वर्णित भूमि विपक्षी सं0 1 के पास लगभग 50–60 वर्षो से होकर विपक्षी संख्या 1 ही
उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा था, प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित किये है विपक्षी संख्या
1 द्वारा उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 को विक्रय करना स्वीकार है। शेष कथन गलत होकर
अस्वीकार है।

यह कि उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 का जवाब है कि
गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजी का भी कोई कब्जा नहीं रहा हैं।
उक्त वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे की भूमि थी। जिससे विपक्षी संख्या 2
को विक्रय कर कब्जा विपक्षी संख्या 2 को सिपुर्द कर दिया गया तब से ही प्रतिवादी संख्या 2
उक्त भूमि पर काविज है। चरण संख्या 7 का जवाब गलत होकर अस्वीकार है। चरण संख्या
8 का जवाब गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का
संतुलन व अपूर्णनीय क्षति नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने योग्य है।

यह कि उक्त प्रकरण मे वाद पत्र की चरण संख्या 9, 10, 11 कानूनी होने से
जवाब की आवश्यकता नहीं है।

1– यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये विक्रय विलेख के
विकय्र कर दी हे इसलिए विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय मे शून्य घोषित कराये बिना यह
वाद पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान में चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण
विपक्षीगण के पक्ष में सावित है। प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से चलने योग्य नहीं है ।

2– यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि आवंटित होरक गैर खातेदारी से खातेदारी
प्राप्त हुई अगर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होता तो न तो भूमि
आवंटित होती न ही प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार मिलते। इस प्रकार सुविधा का संतुलन
भी विपक्षीगण के पक्ष में सावित है।

2– यह कि वादी ने वाद पत्र में कही स्पष्ट नहीं किया है कि क्योकर उक्त भूमि बिलानाम
हुई जिससे भी स्पष्ट है कि वादी ने गलत वाद पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी को कोई
अपूर्णनीय क्षति होन की संभावना नहीं है यदि विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है तो
विपक्षीगण अपने खातेदारी की भूमि व हक अधिकारो से वच्छित हो जायेगें इसके विपरीत
प्रार्थी को कोई हानि होने की संभावना नहीं है।

4– यह कि कानूनन खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जा सकता है।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया
जाकर प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में जवाब विपक्षीगण का प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 ...0 पर बहस हेतु उभयपक्ष को आवाज दिलाई गई प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण की ओर से नो–इन्स्ट्रेक्शन (हिदायत पैरवी नहीं) होने का अंकन किया गया तथा विपक्षीगण के भी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण मे एक तरफा बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई जिन्होने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार ही करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया जाकर प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु प्रतिपादित तीन मुख्य बिन्दुओ पर निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> ::–

पत्रावली में नकल नक्शा किश्तवार ग्राम बडी का खेडा एवं नक्शाट्रेस की छायाप्रति तथा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा धारा 91 का नोटिस पत्रावली संख्या 1065 दिनांक 19.11.68 को दिया गया जो कि हरला पिता देवा भील निवासी बडी का खेडा को खसरा नं0 52मी रकाब 2बीघा 4 बिस्वा के लिए दिया गया। नकल नामान्तरण संख्या 27 जिसमें आराजी संख्या 52 रकबा 29बीघा 1बिस्वा भूमि जो कि बिलानाम सरकार दर्ज थी उसमे से 2बीघा 4 बिस्वा भूमि लागन 1 रुपया का नामान्तरण हरला पिता देवा भील सा.देह के नाम पर खातदेार होने का अंकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार मि0नं0 1065 सन 68 से आराजी संख्या 52मी रकवा 2बीघा 4बिस्वा लगान 1 रूपये सं2025 से नाजायज कब्जा होने से हरला के नाम पर खातेदारी दर्ज कर नियमन की गई। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029 से 32 में आराजी संख्या 52/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि हरलाल के नाम पर दर्ज होने का अंकन हैं। पत्रावली मे पेश नकल भू–प्रबंध विभाग खतौनी ग्राम बडी का खेडा में सिवायचक भूमि नवीन आराजी अन्य आराजी संख्या के साथ आराजी संख्या 64, 65, 70 दर्ज की हुई है। नकल भू–प्रवन्ध सेटलमेन्ट विभाग के अवलोकन से भी पाया गया कि गत आराजी सख्या 52 के नवीन आराजी संख्या 64, 65, 66, 67,68 बने हुए है। पत्रावली में नकल नामान्तरण संख्या 20 के अवलोकन से पाया कि वर्तमान आराजी संख्या 64, 65, 70 वाके ग्राम बडी का खेडा की भूमि रकवा 3बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन गोपी पिता हीरा भी के नाम पर किया होकर नामान्तरण खोला गया है। साथ ही नकल जमाबंदी संवत 2037 से 40 में आवंटित भूमि आराजी संख्या 64, 65, 70 रकबा 3बीघा 6बिस्वा भूमि में गोपी पिता हीरा भील का नाम अंकित किया गया है। नकल जमाबंदी मौजा बडी खेडा सं. 2070 से 73 में आराजी संख्या 65 व 70 कीता–2 रकवा 0.4540 हैक्टर भूमि गोपी पिता हीरा भील के नाम दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी मौजा बडी का खेडा संवम्वत 2070 से 73 में आराजी संख्या 64 रकबा 0.810 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री गोपी पिता हीरा भील दर्ज अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत विक्रय पत्र आराजीयात जो कि पंजीकृत विक्रय विलेख है में खातेदार गोपी पिता हीरा द्वारा अपने खातेदारी की आराजी संख्या 65 व 70 रकबा 0.4540 हैक्टर भूमि का पंजीकृत विक्रय केता श्री श्यामलाल पिता शंकरलाल भील को कर दिया था। इस प्रकार सभी प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी जिन आराजी संख्या 64 व 70 के लिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करवाना चाहते है वह भूमि प्रार्थी के पूर्वजो की भूमि नहीं रही वह भूमि बिलानाम की गई जो क्यो की गई इस तथ्य को प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट नहीं किये है। साथ ही आराजी संख्या 64, 65, 70 का आवंटन बिलानाम होने से गोपी पिता हीरा भील को किया गया जिन्होने भी अपने आवंटित खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 65 व 70 का पंजीकृत विक्रय विलेख से विक्रय कर दिया हैं। यानि प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। साथ ही कानूनन यह विक्रय वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व का है जिसे सिविल न्यायालय में निरस्त कराये विना यहॉ दावा लाया जाना न्यायसंगत ही नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण मे प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

विधा का सन्तुलन ::–

पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया कि गत आराजी संख्या 32/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो कि प्रार्थी के पूर्वज श्री हरलाल पिता देवा को नियमन हुई थी जिसके नवीन आराजी संख्या 64, 65, 70 बने होकर उक्त भूमि को बिलानाम किया गया था, वह किस प्रकार बिलानाम किया यह तथ्य स्पष्ट नहीं है, साथ ही बिलानाम भूमि होने पर उक्त भूमि को गैरखातेदारी से विपाक्षी को आवंटन की गई थी बाद में उन्हें खातेदारी दी गई , जबकि भूमि पर कब्जा काश्त गोपी का ही होने से उन्हें गैरखातेदारी भूमि की खातेदारी अधिकार आवंटन होने से दिये गये थे तो उक्त भूमि पर प्रार्थी केपूर्वज हरलाल का कब्जा नहीं था। साथ ही आवंटित शुदा भूमि जो कि विपक्षी संख्या 1 गोपी द्वारा उनके आवंटित खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 64,65 व 70 में से आराजी संख्या 65 व 70 का पंजीकृत विक्रय इस प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण से पूर्व ही कर दिया था, तथा प्रार्थी जब तक पंजीकृत विक्रय विलेख का निरस्त नही करा देते तब तक उन्हें उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता है साथ ही कानूनन किसी खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्राथी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

3– आर्थिक क्षति ::–

वर्तमान आराजी संख्या 64, 65, 70 कीता– 3 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि जो कि विपक्षी सं01 गोपी के नाम पर खातेदारी से दर्ज थी उसमें उन्होने आराजी संख्या 65 व 70 का पंजीकृत विक्रय भी कर दिया है, यानि जिन आराजी के लिए प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र लेकर आए है वह आराजी उनके खातेदारी में दर्ज न होकर विपक्षी संख्या 1 के खाते दर्ज थी जिन्हे कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द नहीं किया जा सकता है। यदि खातेदार को पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही विपक्षी को आर्थिक क्षति होती है जबकि प्रार्थी को आर्थिक क्षति नहीं होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहं होता हैं।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीनों ही बिन्दु दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद् द्वारा सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.12.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ